संख्या 1643/XXIV–3/06/02(71)06

प्रेषक,

हरिश्चन्द जोशी,,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

माध्यमिक शिक्षाा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2007

विषयः स्पशेल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत चालू वृहद निर्माण कार्यो के लिए धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 30136/ 5(ख)1/भ0नि0/2007–08 दिनांक 07 अगस्त,2007 एवं —— पत्र संख्या 05(ख)/41033/एस0सी0पी0/2007–08 दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 के संबंध में शासनादेश सं0 370/XXIV–3/2006/02(71)06 दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 05 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ–3 पर अनुमोदित कुल लागत के सापेक्ष स्तम्भ–04 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए कालम–5 पर अकित विवरणानुसार कुल रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या 1010/XXIV–3/2007/02(20)07 दिनांक 03 अगस्त, 2007 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनरशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपयों में)

क0स0	विद्यालय का नाम	अनुमोदित लागत	अब तक स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	रा0इ0का0बैरासकुण्ड,चमोली	93.95	33.95	30.00
2	रा0इ0का0 असेड सिमली, चमोली	88.10	28.10	30.00
3	रा0इ0का0,गैरसैण,चमोली	72.70	22.70	30.00
4	रा0इ0का0,बौरागड,चमोली	93.35	33.35	30.00
5	रा0इ0का0घंघासू बांगड,रूद्रप्रयाग	93.70	33.70	30.00
		योग		150.00

अर्पण

(1) उल्लिखित विद्यालय अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(2 आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर निमयानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिक्ताए तकनीकी दृष्टि के मध्य–नजर एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से अवश्य कर लें। निरीक्षण के उपरान्त स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग मे लाया जाय।

(10) यदि स्वीकृत राशि के स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,स्वीकृति धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(11) जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा समय से कार्य को को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(12) मुख्य सचिव,उत्तराखंड के शासनादेश सं0 2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

(13) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधति निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत

अर्पण

धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में आय–व्ययक में अनुदान –30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय –01–सामान्य शिक्षा –202–माध्यमिक शिक्षा –आयोजनागत–02– अ0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0201–अ0सू0ज0बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0ई0 कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण –24 –वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 583(पी0)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2007 दिनांक 31.10.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3.निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी
4.निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5.आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
6. अपर सचिव, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7.अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल पौडी।
8.जिलाधिकारी चमोली,रूद्रप्रयाग।
9.कोषाधिकारी, चमोली,रूद्रप्रयाग।
10.जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली,रूद्रप्रयाग।
11.वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
12.बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
13.सबधित निर्माण एजेन्सी।
14.कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
15.एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव